<u>V-190</u> Cr.J.(E)

SUMMARY TRIAL UNDER SECTION 260- 265 OF CODE OF CRIMINAL PROCEDURE, 1973

IN THE COURT OF PANKAJ SHARMA JUDICIAL MAGISTRATE FIRST CLASS, GOHAD DISTRICT BHIND

CASE NO \$23/2/2016 COMPLAINT/REPORT made on 03-12-2016 Name and address of the complaintant: मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र मौ जिला भिण्ड म.प्र।
18 Tay fair fe tayed fluing is much
Name, parentage, caste and address of accused
याही उमाम शहीर है। वडी प्रमाद गही अमु 35 माल
निवाली - बेहर भेड भी छिला भिन्ड
The offense complained of, date of its alleged commission कि आपने अधिअभाग्राही दिनांक
हाथ ठेला <u>लगाकर / अन्</u> य प्रकार से आम जनता के आवागमन में व्यवधान कारित किया। और ऐसा कर आपने वह अपराध किया जो धारा 34 पुलिस एक्ट के अधीन होकर इस न्यायालय के संज्ञान में है।
पंकर्ज शर्मा जे.एमाएक सी गोन्द्र जिला भिण्ड
The Plea of acused and his examination (if Any) (H. U.)
धारा 206 द.प्र.सं का संमंस बाद तामील प्राप्त जिसमें अभियुक्त ने लिखित अभिवाक् कर स्वेच्छया से अपराध को का स्वीकार किया अभिवाक् पृथक से संलग्न है।
पंकज शर्मा जे एम प्राप्त सी ओहर जिल्हा शिवर
जे.एम.एफ.सी _व गोह्द जिला भिण्ड नगरिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भोडद जिला-भिण्ड (म.प्र.)

(<u>आज दिनांक : ०९)। २०००</u> को पारित किया गया)

01. उपरोक्त अभियुक्त को स्वेच्छ्या पूर्वक की गयी स्वीकारोक्ति के अभिवाक् के परिणामस्वरूप धारा 34 पुलिस एक्ट के आरोप में दोषसिद्ध घोषित किया जाता है।
02. आरोपी को धारा 34 पुलिस एक्ट के आरोप में दस रूपये (10 / रु) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है।

03.. प्रकरण में आरोपी निरोध में नहीं रहा है।

पंकज शर्मा जोएम एफासी गोहद्व जिला मिण्ड शोहद, जिला-मिण्ड (म.प्र.)